न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

32

प्रकरण क्रमांक निगरानी 320—एक/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03.03.2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 519/अपील/2008—09.

.....

मन्नूराम पुत्र लल्लीराम
निवासी ग्राम नारायण पुर तहसील
नरवर जिला शिवपुरी म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1—कल्लू पुत्र उदयराज
2—नेतराम पुत्र उदयराज
3—धनीराम नावालिक पुत्र उदयराज
सरपरस्त मां महिला मानो पत्नी उदयराज
4—हरीराम पुत्र नारायण जू
5—मंगल सिंह 6—बल्ली 7—काशीराम
8—सहाब सिंह पुत्रगण राजाराम
9—मुस0 हक्कली पत्नि स्व0 राजाराम कुशवाह
निवासीगण ग्राम नारायणपुर तहसील नरबर
जिला शिवपुरी म0 प्र0
10—श्रीमती विसना पत्नि रायसिंह पुत्री राजाराम
निवासी ग्राम नयाजैतपुर तहसल नरबर
जिला शिवपुरी म0 प्र0
11—श्रीमती सुनीता पत्नि बृजेश पुत्री राजाराम
निवासी उदियापुरा तहसील नरबर
जिला शिवपुरी म0 प्र0
12—श्रीमती नैनी पत्नि राजकुमार पुत्री राजाराम
निवासी ग्राम मौजपुर तहसील नरबर
जिला शिवपुरी म0 प्र0

13–अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
14–अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी
15–तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

–––अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 धाकड़ अभिषक, अनावेदकगण 1 से 12
श्री कुलदीप सिंह अभिभाषक 'शासन अनावेदकगण 13 से 15

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-01-19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 ने तहसीलदार नरबर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि वह भूमि सर्वे नंबर 136, 137, 138 के बटा नंबर कायम कराना चाहता है, इसलिये बटा नंबर कायम किये जाय। तहसीलदार नरबर ने प्रकरण कमांक 12/अ–3/1999–2000 पंजीबद्व किया तथा जांच एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 10.3.2000 पारित करके भूमि के बटा नंबर कायम कर दिये। तहसीलदार नरबर के इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागयी अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण कमांक 72/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 4.8.09 से अपील निरस्त कर दी। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 519/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 3.3.10 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा न तो आवेदक को पक्षकार बनाया गया और न आवेदक को नोटिस जबाव साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रतिपरीक्षण करने एवं बहस करने का अवसर नहीं दिया गया इस कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक पढ़ा लिखा नहीं है केवल हस्ताक्षर करना जानता है जिसका फायदा अनावेदक एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा कोरे सादा कागज पर आवेदक के हस्ताक्षर करा के बटांक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया और न साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया इस कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही प्रकरण की पोसीदा तौर पर की गई है विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया है और न ही प्रकरण में इश्तहार व उद्घोषणा का प्रकाशन कराया है तथा इन कानूनी बिन्दुओ का प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखा कर क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है इस कारण आदेश निरस्ती योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि न्यायालय तहसीलदार नरबर के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 70 के अधीन प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज कर विधिवत उद्यघोषणा जारी की गई आपत्तियां आहूत की गई। विधिवत नियमों का पालन करते हुये आदेश दिनांक 10.3.2000 से उभयपक्ष की सहमति के आधार पर बटांकन आदेश पारित किया गया। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि सहमति से पारित आदेश के विरूद्व अपील या निगरानी प्रचलन योग्य नही है, इस कारण आवेदक की निगरानी में कोई बल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा आवेदक हरीराम के साथ भी बंटाकन आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये गये है। इसके पश्चात बटांकन प्रस्ताव तैयार किया हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बटांकन के समय उीाया पक्ष की सहमति के आधार पर बटांकन कार्यवाही आवेदक के

समक्ष की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा बटांकन प्रस्ताव तैयार किये गये। उक्त बटांकन प्रस्ताव पर आवेदक द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है बल्कि सहमति से बटांकन की कार्यवाही हुई है इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का लेख किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का निवेदन किया गया है।

5–प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार तहसील नरवर के समक्ष राजाराम, हरीराम, मन्नूलाल के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन बटे कायम करने हेतु प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 22.7.99 द्वारा राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी कर बटे कायम प्रस्ताव पेश करने हेतु लेख किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.7.99 का पालन करते हुये दिनांक 29.2.2000 को यानी 7 माह पश्चात बटे कायम का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.3.2000 को आदेश पत्रिका पर लिया गया यानी प्रस्तुत प्रस्ताव को 10 दिन पश्चात लिया गया। राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 नरबर प्रस्ताव दिनांक 29.2.2000 कॉलम नम्बर–1 में कल्लू, नेतराम, धनीराम, नावालिग पुत्रगण उदयराज, सरपरस्त मां मानो उदयराज हिस्सा 1/3 राजाराम, हरीराम पुत्रगण नारायण जू हिस्सा 2/3 सर्वे कमांक 136/1 रकवा 0.10, सर्वे कमांक 137/1 रकवा 0.08, सर्वे कमांक 138/1 रकवा 0.40 इसी प्रकार कॉलम नम्बर–2 में मन्नू पुत्र लल्ली कुशवाह निवासी ग्राम नारायणपुर को सर्वे कमांक 136/2 रकवा 0.25, सर्वे कमांक 137/2 रकवा 0.04 सर्वे कमांक 138/2 रकवा 0.61 का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है लेकिन तहसीलदार द्वारा अपने आदेश पत्रिका दिनांक 10.3.2000 में मन्नू पुत्र लल्ली कुशवाह को **सर्वे कमांक 137/2 का रकवा 0.40 दर्शाया गया है** जबकि फर्द बटवारे में **137/2 का रकवा 0.04 दर्शाया गया है।** इसलिये फर्द बटवारे में एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.3.2000 के आदेश में विसंगतिया स्पष्ट नजर आ रही है। इस ओर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया है।

तहसीलदार के प्रकरण का अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उनके द्वारा बटा कायम करने हेतु जो कार्यवाही की गई है वह विधि के अनुसार नहीं की गई है, प्रकरण में कोई इश्तहार जारी नहीं किया गया है और न ही पक्षकारों के बटा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराये गये है, और न ही आदेश पत्रिका पर किसी के हस्ताक्षर कराये गये है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामाने आया है कि तहसीलदार द्वारा 22.7.99 को राजस्व निरीक्षक को बटा प्रस्ताव हेतु आदेश दिया गया था, राजस्व निरीक्षक द्वारा लगभग 7 माह पश्चात बटा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो लापरवाही का द्योतक है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.2.2000 के पंचनामा पर लेख किया गया है कि मौके पर ही बटा प्रस्ताव् तैयार किया जबकि बटा प्रस्ताव पर दिनांक 29.2.2000 अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा बटा प्रस्ताव को आधार मान कर जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्यों कि बटा प्रस्ताव में एवं तहसीलदार के आदेश में विसंगतियां हैं जिस और अनुविभागीय अधिकारी करैरा एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार नरवर का प्रकरण कमांक 12/अ–3/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 10.3.2000 एवं अनुविभागीय अधिकारी पिछोर का प्रकरण कमांक 72/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 4.8.09 तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 519/अपील/2008–19 में पारित आदेश दिनांक 3.3.10 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील नरवर जिला शिवपुरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि बटा प्रस्ताव में एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.3.2000 में विसंगतियों को सुधार कर एवं उभयपक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः बटाकंन की कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर